

18647/13




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UPC0142643820358L
 Certificate Issued Date : 01-Oct-2013 04:51 PM
 Account Reference : NONAGC (BK)/ upcorbk02/ LUCKNOW/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPCORBK0200152482797318L
 Purchased by : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : 17/GH/02 GROUP HOUSING VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
 Consideration Price (Rs.) : 26,09,21,200
 (Twenty Six Crore Nine Lakh Twenty One Thousand Two Hundred only)
 First Party : U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
 Second Party : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
 Stamp Duty Paid By : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,82,65,300
 (One Crore Eighty Two Lakh Sixty Five Thousand Three Hundred only)



Please write or type below this line.



सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

अविनाश
18647/13/101/17/02



0000000211

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shoestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the authenticity is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Complaint Authority.

भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

96AB 603711

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
मुपहाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किश्त कय का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 03 माह 10 दो हजार 22 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात् 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

कमरा: 2 पर

साहबजी म. ति. 1965
M

[Signature]

तहापरु आगत आयुक्त
रूपादन योजना, लखनऊ

(2)

माध्यम से होता है। एक पक्ष और BASERA CITY DEVELOPERS LIMITED, निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी पता:- B-127, सहारा प्लाजा, पुत्रकारपुरम, गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात् किराया-किश्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो। इसमें एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।


चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त कंता से स्वामी से किराया किश्त कथ योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवंटन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त कंता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किश्त कंता ने रू० 7,82,79,360.00 (शब्दों में केवल रू० सात करोड़ बयासी लाख उनन्यासी हजार तीन सौ साठ मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 17/GH-02 का कुल मूल्य रू० 26,09,31,200.00 (छब्बीस करोड़ नौ लाख इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) जिसका आधा रू० 13,04,65,600.00 (तेरह करोड़ चार लाख पैसठ हजार छः सौ मात्र) होता है। आवंटनी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे नियमानुसार ब्याज/टण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया-किश्त कंता से प्रसविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात्:-

1- किराया-किश्त कंता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसकी संख्या 17/GH-02 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 के लखनऊ में सेक्टर संख्या 17 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है कब्जा दिया जायेगा।


M



कमशा: 3 पर

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(3)

2-किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 (छः) वर्ष की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेरह के अक्टूबर-13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के अक्टूबर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(3) किराया-किश्त-क्रेता स्वामी की ओर किसी मांग के बिना किश्त कय अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक मास के 01.10.2013 दिनांक प्रथम का केवल रू० 1,13,84,689.00 की त्रैमासिक किश्त का भुगतान करेगा।

(क) किराया-किश्त-क्रेता रू० 1,13,84,689.00 (रू० एक करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार छः सौ नवासी मात्र) की त्रैमासिक किश्त मांग की प्रतीक्षा किए बिना उरी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त क्रेता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह अक्टूबर-13 की प्रथम किश्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष- 2014 के माह जनवरी-14 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

(ख) किराया-किश्त को आवहन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू- स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता- स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

(ग) किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिसे पद के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी) ; स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, समाधानप्रद रूप से खर्च अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और रिथति में रखेगा।

कमशः 4 पर

आवन्ता

पहायत भागत आयुक्त
पुस्तक शोचन, एतत्त

(4)

(घ) किराया-किश्त कंता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्ट्रोल हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

(ड) किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त कंता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

(च) किराया किश्त कंता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप- लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(छ) किराया-किश्त कंता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारों को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया- किश्त कंता स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथारिथति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

5/11/76
M.

5/11/76

कमरा 5 पर

सहायक आगत आयुक्त
दुसरे इ. शेरना, ब्रह्मर

(5)

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

(अ) किराया-किश्त कंता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

(अ) किराया किश्त कंता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विमर्शक सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ती के बारे में ऐसी शिकायत करने को विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

(ब) किराया-किश्त कंता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

(क) उक्त सम्पत्ति कराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है फिर भी किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का बचन देता है।

(ड) किराया किश्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पावने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

2/1/18

A

सहायक आगत आयुक्त
बन्दरबंदी, लखनऊ

कमरा: 6 पर

(थ) यदि किराया-किश्त के किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदार को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देना और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त के किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्पत्ति पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त-केता द्वारा युप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो, किन्ही सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त केता को बदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त केता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(ध) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त केता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिफल में वृद्धि होने के कारण या टेकंदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वस्वयं टेकंदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात् विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसके भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

(न) उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त केता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त केता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

जाह पकड़ा आता है

कार

महायुक्त आगत आयुक्त

वृत्तान्त पोतना, २५५६

कमशः ४ पर

(8)

3- स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त कंटा को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र के साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त कंटा उसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवारा आयुक्त विनिश्चय करेगे और किराया-किश्त कंटा के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा

(10)

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड- 11 के सभी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 17/GH-02 एवं भूमि का क्षेत्रफल 8936.00 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर-	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-01	उत्तर-	111.70	मीटर
दक्षिण-	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-03	दक्षिण-	111.70	मीटर
पूर्व-	30.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व-	80.00	मीटर
पश्चिम-	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-05	पश्चिम-	80.00	मीटर

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री बी०के०सिंह, सहायक आवारा आयुक्त ने तथा आवटी BASERA CITY DEVELOPERS LIMITED, निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी आशयिता 17/GH-02 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

सिंह कंटा मणि त्रिपाठी

कमरा 9 पर

सहायक आवारा आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त क्रेता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त क्रेता या फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
- (7) किराया-किश्त क्रेता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।
- (9) भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियों, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

कमरा 11 पर

डा. प्रकाश भा. टि. ५/१८
 आवन्ती

सहायक आवास आयुक्त
 पृथ्वीन बोधना, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 18647

Year : 2013

Book No. : 1

0201 बसेरा सिटी डेव. लि० द्वारा निदे, ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी

प्रकाश मणि त्रिपाठी

बी- 127 सहारा फ्लॉयडा मन्नाकारपुरम गोमती नगर लखनऊ
उत्तरप्रदेश







Office of The Executive Engineer
Construction Division-11
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Office Complex, Vrindavan Yojna, Sector-9,
Raibareilly Road, Lucknow

Site Plan of G.H. Plot No. 17/G.H.-02, Sector-17
Vrindavan Yojna No. 4, Lucknow

Name of Allottee: M/s Basera City Developers Pvt. Ltd.



North: Plot No. 17/G.H.-01

South: Plot No. 17/G.H.-03

East: 30.00M Wide Road

West: Plot No. 17/G.H.-05

[Signature]
D/Man

Plot Size 80.00 M X 111.70 M.

Plot Area 8936.00 Sq.M.

[Handwritten text in Hindi]

[Signature]
26/4/13
J.E.

[Signature]
31/4/13

[Signature]
27/4/2013
A.E.

आज दिनांक 03/10/2013 को
वही नं 1 जिल्द सं 16323
पृष्ठ नं 221 से 246 पर क्रमांक 18647
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पी .के .सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

3/10/2013

